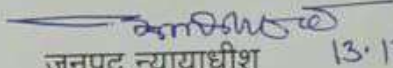


आदेश संख्या.374../2025

पूर्व में पारित आदेश संख्या-345/2024 दिनांकित-23.12.2024 जो कि वर्ष 2025 में स्थानीय अवकाश एवं अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने हेतु पारित किया गया था, में संशोधन करते हुए अतिरिक्त अवकाश घोषित किये जाने के संबंध में निम्नलिखित आदेश पारित किया जाता है:-

1- माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के वर्णित कैलेण्डर वर्ष 2025 की टिप्पणी संख्या-7 के अनुसार जनपद न्यायाधीश को द्वितीय शनिवार अथवा रविवार को पड़ने वाले अवकाश के स्थान पर अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। वर्ष 2025 में शीतकालीन अवकाश में दिनांक-28.12.2025 दिन रविवार पड़ रहा है, उक्त क्रम में शीतकालीन अवकाश में दिनांक-28.12.2025 रविवार पड़ने के कारण उसके स्थान पर दिनांक-22.12.2025 (दिवस सोमवार) को जनपद न्यायालय गौतमबुद्धनगर एवं बाह्य न्यायालय जेवर में अतिरिक्त सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है।

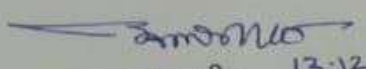
दिनांक-22.12.2025 को नियत दीवानी एवं आपराधिक मामलों की सुनवाई दिनांक-23.12.2025 को की जायेगी।


जनपद न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर

13.12.25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित:-

1. महानिबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद।
2. प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय, गौतमबुद्धनगर।
3. पीठासीन अधिकारी, वाणिज्य न्यायालय -1, गौतमबुद्धनगर।
4. पीठासीन अधिकारी, वाणिज्य न्यायालय-2, गौतमबुद्धनगर।
5. पीठासीन अधिकारी, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, प्राधिकरण गौतमबुद्धनगर।
6. पीठासीन अधिकारी, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
7. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
8. पुलिस आयुक्त गौतमबुद्धनगर।
9. अध्यक्ष/सचिव दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन, गौतमबुद्धनगर।
10. अध्यक्ष/सचिव दीवानी बार एसोसिएशन, बाह्य न्यायालय, जेवर गौतमबुद्धनगर।
11. केन्द्रीय नाजिर जनपद न्यायालय एवं बाह्य न्यायालय, सिविल जज (जू०डि०) जेवर, गौतमबुद्धनगर को दोनों नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
12. जिला सूचना अधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
13. अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।


जनपद न्यायाधीश
गौतमबुद्धनगर

13.12.2